कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 57/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 09.02.2026

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 09.02.2026 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी।

थाना – अहरौला, जनपद – आजमगढ़

पालतू कुत्ते को गोली मारने के प्रकरण में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त असलहा व कारतूस बरामद

☐ पूर्व की घटना का विवरण

दिनांक **02.02.2026** को रात्रि लगभग **20:00 बजे** ग्राम **बस्ती भुजवल**, थाना अहरौला क्षेत्र में कुत्तों के विवाद को लेकर वादी पक्ष के पुत्र **रिषू शुक्ला** से अभियुक्तगण की कहासुनी हो गई। इसी दौरान अभियुक्तों द्वारा अवैध असलहे से जान से मारने की नीयत से फायर किया गया, जिसमें गोली युवक को न लगकर उसके **पालतू कुत्ते को लग गई**, जिससे कुत्ता गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के संबंध में वादी की तहरीर पर थाना अहरौला पर **मु0अ0सं0 025/2026** धारा **109(1)/351(3)/325 बीएनएस** पंजीकृत किया गया था।

☐ गिरफ्तारी का विवरण

दिनांक **09.02.2026** को उ0नि0 **विश्राम गुप्ता** मय पुलिस टीम द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त **दीपक चौबे** को **करनपुर–इशहाकपुर पुलिया से कुछ दूरी पहले** समय करीब **11:50 बजे** गिरफ्तार कर पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तारी के दौरान अभियुक्त के कब्जे से **एक .32 बोर तमंचा, एक जिंदा कारतूस व एक खोखा कारतूस** बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर मुकदमे में **धारा 3/25 आर्म्स एक्ट** की बढ़ोत्तरी की गई है। अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

☐ पूछताछ का विवरण

पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने बताया कि दिनांक **02.02.2026** की रात्रि लगभग **20:00 बजे** कुत्तों के विवाद को लेकर वादी पक्ष के पुत्र **रिषू शुक्ला** से कहासुनी हो गई थी। इसी दौरान अभियुक्त व उसके साथी विवेक चौबे द्वारा अवैध असलहे से फायर किया गया, जिसमें गोली युवक को न लगकर उसके पालतू कुत्ते को लग गई। मौके पर लोगों के आने पर दोनों अभियुक्त फरार हो गए। अभियुक्त ने अपने कृत्य को गलती स्वीकार किया है।

☐ पंजीकृत अभियोग का विवरण

1-मु0अ0सं0 – 025/2026 धारा – **109(1), 325, 351(3) बीएनएस** वृद्धि धारा – **3/25 आर्म्स एक्ट** थाना – अहरौला, जनपद – आजमगढ़

☐ गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

1- दीपक चौबे **पिता का नाम** – जनमेजय चौबे **निवास** – ग्राम बस्ती भुजवल, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़
उम्र – लगभग 32 वर्ष

☐ बरामदगी

एक तमंचा (पिस्टल) .32 बोर, एक जिन्दा कारतूस .32 बोर, एक खोखा कारतूस .32 बोर

☐ अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 177/2023 धारा 201/302/34 भादवि, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 34/2021 धारा 323/427/504/506 भादवि, थाना जैतपुरा, जनपद अम्बेडकर नगर
3. मु0अ0सं0 025/2026 धारा 109(1), 325, 351(3) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़

☐♂☐ गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

उ0नि0 विश्राम गुप्ता, उ0नि0 विजयी, हे0का0 हरिश्चन्द्र भास्कर,
का0 प्रमोद कुमार यादव, का0 सौरभ राय *(थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़)*

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना – सरायमीर, जनपद – आजमगढ़

□ गुमशुदा व्यक्ति की 24 घंटे के भीतर सकुशल बरामदगी □

दिनांक **06.02.2026** को आगंतुक **रफात बानो पत्नी इस्लाम खाँ**, निवासी संजरपुर, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना सरायमीर पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि उनके पति **इस्लाम खाँ (उम्र लगभग 47 वर्ष)** दिनांक 06.02.2026 को समय करीब **15:00 बजे** घर से निकले थे, जो वापस नहीं लौटे हैं। प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना सरायमीर पर **गुमशुदगी संख्या 01/2026** दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही हेतु **उ0नि0 प्रशान्त सिंह** को विवेचना सौंपी गई।

गुमशुदा व्यक्ति की बरामदगी के लिए पुलिस टीम द्वारा तत्परता से आसपास के गांवों व कस्बों में तलाश की गई। इसी क्रम में दिनांक **09.02.2026** को गुमशुदा व्यक्ति **इस्लाम खाँ** को **ग्राम फरिया** से सकुशल बरामद कर परिजनों के सुपुर्द किया गया। परिजनों द्वारा पुलिस की त्वरित एवं संवेदनशील कार्यवाही के लिए आभार व्यक्त किया गया।

प्रेस विज्ञप्ति

थाना– तहबरपुर, जनपद– आजमगढ़

□ साइबर फ्राड के शिकार आवेदक को ₹14,289/- की धनराशि सकुशल वापस कराई गई □

➡□दिनांक 12.01.2026 को आवेदक देव कुमार पुत्र राजबली, निवासी ग्राम जमालपुर काजी, थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़ के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर प्रसारित एक फर्जी शॉपिंग वेबसाइट के लिंक के माध्यम से ऑनलाइन खरीदारी के नाम पर ₹14,289/- की साइबर ठगी की घटना घटित हुई।

➡□घटना की जानकारी प्राप्त होते ही आवेदक की तत्काल सहायता करते हुए साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई गई, जिसका NCRP एक्नॉलेजमेंट संख्या 33101260009481 है। शिकायत की जांच के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि आवेदक के एसबीआई खाते से विभिन्न ट्रांजैक्शन के माध्यम से कुल ₹14,289/- की धनराशि धोखाधड़ी कर निकाली गई थी।

➡□समय से शिकायत दर्ज होने के कारण उक्त धनराशि को फ्राडर के बैंक खाते संख्या 1351200000000003, उत्कर्ष स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड में होल्ड करा दिया गया। तत्पश्चात माननीय न्यायालय आजमगढ़ से आवश्यक कोर्ट ऑर्डर प्राप्त कर होल्ड की गई धनराशि को रिलीज कराने की कार्यवाही की गई। संबंधित बैंक को ई-मेल के माध्यम से अवगत कराते हुए समन्वय स्थापित किया गया, जिसके फलस्वरूप दिनांक 01.02.2026 को आवेदक के खाते में पूरी ₹14,289/- की धनराशि सफलतापूर्वक वापस करा दी गई।

➡□उक्त सराहनीय कार्यवाही थाना तहबरपुर की साइबर पुलिस टीम द्वारा त्वरित, संवेदनशील एवं प्रभावी ढंग से की गई, जिससे पीड़ित को शीघ्र न्याय एवं राहत प्राप्त हो सकी।

□♂□ साइबर पुलिस टीम

1. उ0नि0 लोकेश मणि त्रिपाठी, थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़
2. कम्प्यूटर ऑपरेटर वीरेन्द्र कुमार सरोज, थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़
3. का0 अमित कुमार सिंह, थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़